

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, हिसार, झज्जर रोहतक, सिरसा, पंचकूला तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में उन्नत समग्र किस्मों में जौ के प्रदर्शन प्लाट पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (25–12–2022) तक कर सकते हैं।

उन्नत समग्र किस्मों में जौ के प्रदर्शन प्लाट पर ₹ 2400 / एकड़ सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

<b>District Wise Physical &amp; Financial targets for NFSM- Coarse Cereal (Demonstrations on improved packages-Barley) (Assistant @ Rs. 2400/ acre for Rabi 2022-23)</b>							
<b>Sr. No.</b>	<b>Distt.</b>	<b>Total</b>		<b>General Category</b>		<b>SC Category</b>	
		<b>Phy (in acre)</b>	<b>Fin (Rs. in Lakhs)</b>	<b>Phy (in acre)</b>	<b>Fin (Rs. in lakhs)</b>	<b>Phy (in acre)</b>	<b>Fin (Rs. in Lakhs)</b>
1	Bhiwani	80	1.92	64	1.54	16	0.38
2	Hisar	87.5	2.10	70	1.68	17.5	0.42
3	Jhajjar	40	0.96	32	0.77	8	0.19
4	Rohtak	40	0.96	32	0.77	8	0.19
5	Sirsa	50	1.20	40	0.96	10	0.24
6	Panchkula	40	0.96	32	0.77	8	0.19
7	Ch.Dadri	50	1.20	40	0.96	10	0.24
	<b>Total</b>	<b>387.5</b>	<b>9.30</b>	<b>310</b>	<b>7.44</b>	<b>77.5</b>	<b>1.86</b>

**विशेष दिशा निर्देश:—**

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान कृषि में उपयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी।

**अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।**

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के भिवानी, हिसार, झज्जर रोहतक, सिरसा, पंचकूला तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में जौं के बीज में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में एवं 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (25–12–2022) तक कर सकते हैं।

जौं के बीज वितरण में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से कम किस्मों) पर ₹ 3000/- विवर्तल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

<b>District Wise Physical &amp; Financial targets for NFSM- Coarse Cereal Distribution of HYVs Seed- Barley (Less than 10 year) (Assistant @ Rs. 3000/- Qtls. for Rabi 2022-23)</b>							
<b>Sr. No.</b>	<b>Distt.</b>	<b>Total</b>		<b>General Category</b>		<b>SC Category</b>	
		<b>Phy (in qtl.)</b>	<b>Fin (Rs. in Lakhs)</b>	<b>Phy (in qtl.)</b>	<b>Fin (Rs. in Lakhs)</b>	<b>Phy(in qtl.)</b>	<b>Fin (Rs. in Lakhs)</b>
1	Bhiwani	30	0.90	24	0.72	6	0.18
2	Hisar	40	1.20	46	1.38	12	0.36
3	Jhajjar	15	0.45	12	0.36	3	0.09
4	Rohtak	15	0.45	12	0.36	3	0.09
5	Sirsa	30	0.90	24	0.72	6	0.18
6	Panchkula	10	0.30	8	0.24	2	0.06
7	Ch.Dadri	10	0.30	8	0.24	2	0.06
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>4.50</b>	<b>134</b>	<b>4.02</b>	<b>34</b>	<b>1.02</b>

**विशेष दिशा निर्देशः—**

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान कृषि में उपयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, हिसार, झज्जर रोहतक, सिरसा, पंचकूला तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में जौ के बीज में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में एवं 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (25–12–2022) तक कर सकते हैं।

जौ के बीज वितरण में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से अधिक की किस्मों) पर रु0 1500 / किंवंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

<b>District Wise Physical &amp; Financial targets for NFSM- Coarse Cereal Distribution of HYVs Seed Barley (More than 10 year) (Assistant @ Rs. 1500/- Qtl.) for Rabi 2022-23.</b>							
<b>Sr. No.</b>	<b>Distt.</b>	<b>Total</b>		<b>General Category</b>		<b>SC Category</b>	
		<b>Phy (in qtl.)</b>	<b>Fin (Rs. in Lakhs)</b>	<b>Phy (in qtl.)</b>	<b>Fin (Rs. in Lakhs)</b>	<b>Phy(in qtl.)</b>	<b>Fin (Rs. in Lakhs)</b>
1	Bhiwani	10	0.15	8	0.12	2	0.03
2	Hisar	10	0.15	8	0.12	2	0.03
3	Jhajjar	6	0.09	5	0.07	1	0.02
4	Rohtak	6	0.09	5	0.07	1	0.02
5	Sirsa	6	0.09	5	0.07	1	0.02
6	Panchkula	6	0.09	5	0.07	1	0.02
7	Ch.Dadri	6	0.09	5	0.07	1	0.02
	<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>0.75</b>	<b>40</b>	<b>0.60</b>	<b>10</b>	<b>0.15</b>

**विशेष दिशा निर्देशः—**

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान कृषि में उपयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी।

**अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।**